



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची—834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: ५बी०स्था०व्य०/निप्र०-०१(२०१८-१९) - ३७२७

दिनांक: १२/१०/२०१८

प्रेषक:

संजय कुमार, भा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक,
प्रसार वानिकी दक्षिणी छोटानागपुर, राँची।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन '01- निदेशन एवं प्रशासन', उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार, राँची का पत्रांक 29/ बी०टी०ई०-१०/२०१७-१८/७७/बजट, दिनांक 21.02.2018।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में कुल 44.867 लाख रु० (चौवालिस लाख छियासी हजार सात सौ रु०) मात्र की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-29/ बी०टी०ई०-१०/२०१७-१८ /७७/बजट राँची, दिनांक 21.02.2018 तथा विहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम०-४-०५/९८ २५६१/वि० (२) दिनांक 17. ०४.१९९८ के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त ४-२३/२००३/१८०० दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. इस राशि से संबंधित नियंत्री पदाधिकारी अपने अधीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को विर्निदिष्ट करते हुए कोषागार/उप कोषागार को सूचित करेंगे तथा उसी अनुसार राशि की निकासी, संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।
5. निकासी एवम् व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि निकासी के पूर्व जिस कार्य के लिए निकासी की जा रही है उसके लिए यथा योग्य सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी हो एवम् राशि का पूर्ण सदृपयोग कर लिया जायेगा।
6. संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन संरक्षक, क्षेत्रीय/मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा व्यय का सतत अनुश्रवण किया जायेगा। झारखण्ड सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-४/यो० बजट-०५/१०-८१९ दिनांक 10.03.2011 को भी द्रष्टव्य रखा जायेगा।
7. राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं०-१७४ एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा। सामग्री का क्य वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जाएगी।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि ऐसी निकासी कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

०१

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय ज्ञाप सं 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में नियंत्री पदाधिकारी से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।
10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा। मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान केवल आधार लिंक बैंक खाता में ट्रांसफर अथवा A/c Payee चेक के माध्यम से किया जाएगा।
11. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हो।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का ट्रैमासिक Reconciliation समय कराया जायेगा। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा इसका नियमित अनुश्रवण के साथ—साथ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से Ledger लेखा समय से प्राप्त कर संतुष्ट होते हुए महालेखाकार को भेजा जायेगा।
13. यह आवंटन आपके कार्यालय पत्रांक 1028 दिनांक 03.10.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
14. 01—वेतन इकाई से न्यायालय आदि से आच्छादित, पूर्व में सेवानिवृत्त एवं माह मार्च 2019 तक होने वाले सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवम् चालू वित्तीय वर्ष का मंहगाई भत्ता का बकाया को छोड़कर अन्य बकाया वेतनादि की निकासी अगले आदेश तक नहीं की जाय।
15. 33—दूरभाष इकाई में आवंटित राशि कार्यालय एवम् आवासीय कार्यालय के स्थलीय दूरभाष (Landline) एवम् इसके साथ Broad Band Internet के लिए है जिसे हर स्थिति में चालू रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।
16. 42—मोटरगाड़ी, इंधन एवं मरम्मति इकाई में आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग, झारखंड सरकार के परिपत्र संख्या—वित्त—4—61/2001—4015/वि० दिनांक 09.11.2001 एवम् पत्र संख्या—वित्त—4—10/2002—996 दिनांक 06.03.2002 तथा अन्य परिपत्रों/ अनुदेशों में निहित प्रावधान के अनुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।

आवंटन आदेश पत्र संख्या—BSCDA/01-18-19/100B की मूल प्रति अत्र—सह—संलग्न है।

अनु०—यथोः:

विश्वासभाजन,


१२/१०/१८

प्रधान मुख्य वन सरक्षक,
झारखंड, राँची।

०१
१२/१०/१८

१०
१२/१०/१८



झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - BSCDA/01-18-19/100B

दिनांक -

12-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601001010101	63844	DRNFWL203 RAJIV RANJAN IFS APCCF & DIR. EXT. FORESTRY	4,300,000.00 रुपये तीरयालीस लाख
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी			
	001 - निदेशन तथा प्रशासन			
	01 - निदेशन एवं प्रशासन			
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	01 - वेतन			
	Establishment Expenditure			
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
2	S 19 240601001010315	63845	DRNFWL203 RAJIV RANJAN IFS APCCF & DIR. EXT. FORESTRY	65,000.00 रुपये पैसठ हजार
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी			
	001 - निदेशन तथा प्रशासन			
	01 - निदेशन एवं प्रशासन			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	15 - कार्यालय व्यय			
	Establishment Expenditure			
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
3	S 19 240601001010333	63846	DRNFWL203 RAJIV RANJAN IFS APCCF & DIR. EXT. FORESTRY	37,000.00 रुपये सौतीस हजार
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी			
	001 - निदेशन तथा प्रशासन			
	01 - निदेशन एवं प्रशासन			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	33 - दूरभाष			
	Establishment Expenditure			
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
योग:				4,402,000.00
क्रमिक योग:		रुपये चवालीस लाख दो हजार		

(SANJAY KUMAR)
Principal Chief Conservator of Forest
Jharkhand Ranchi

164.100.150.21

Run Date: 12/10/2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601001010334 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 03 - प्रशासनिक व्यय 34 - वर्द्धी Establishment Expenditure	63847	DRNFWL203 RAJIV RANJAN IFS APCCF & DIR. EXT. FORESTRY	10,000.00 रुपये दस हजार
5	S 19 240601001010442 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 04 - मोटरगाड़ियाँ / ईधन 42 - मोटरगाड़ी ईधन एवं मरम्मति Establishment Expenditure	63848	DRNFWL203 RAJIV RANJAN IFS APCCF & DIR. EXT. FORESTRY	74,700.00 रुपये चौहत्तर हजार सात सौ
<hr/>				
योग:				84,700.00
क्रमिक योग:	रुपये चवालीस लाख छियासी हजार सात सौ			4,486,700.00

रुपये चवालीस लाख छियासी हजार सात सौ

25/10/18

(SANJAY KUMAR)
Principal Chief Conservator of Forest,
PCOF, JHARKHAND, RANCHI

164.100.150.21

12/10/18